Washim District Police

Nature of Work :- **Recovery of Stolen Property**

Police Station :- **Local Crime Branch**

Date of Good Work done :- **22/01/2022**

Brief of the work done :-

पोलिस अधीक्षक श्री.@IPS_Bachchan यांचे मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने वाशिम जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणी अवैध धंद्यावर धाडी टाकून 2.66 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करून 41 जणांविरुद्ध कारवाई केली आहे.

अभियान ▪ 41 पर अपराध दर्ज, 2.66 लाख का माल भी जब्त, जिले में वरली मटका चलाने वालों में मचा हड़कम्प

अवैध धंधों के खिलाफ अपराध शाखा की विशेष कार्रवाई

जिला प्रतिनिधि | वाशिम

जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह के निर्देश पर स्थानीय अपराध शाखा ने जिले में अब अवैध धंधों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और विशेष मुहिम के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध धंधों में संलग्न 41 लोगों पर अपराध दर्ज करने के साथही 2 लाख 66 हजार 510 रुपए का माल भी जब्त किया है। जिले में अवैध धंधों पर कार्रवाई का सिलसिला शुरु रहते 20 जनवरी से संपूर्ण जिले में जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह तथा अपर पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे के मार्गदर्शन में अवैध धंधों को प्रतिबंधित करने के लिए विशेष मुहिम चलाई गई।

तीन दल कर रहे लगातार कार्रवाई : इस को सफल बनाने के लिए स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक एस.एम. जाधव ने अपने अधिकारी व अंमलदारों के 3 दल तैयार किए। इन दलों की ओर से जिले में प्रतिबंधित अवैध रूप से जुआ, वरली-मटका चलानेवाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार 20 जनवरी को गोपनीय सूचना के आधार पर मानोरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आनेवाले ग्राम कुपटा में अवैध रूप से वरली-मटका चलानेवाले व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम गजानन शेषराव ठाकरे (51) निवासी कुपटा बताया। उसके साथही मौके पर वरली-मटका खेलनेवाले 31 लोगों को भी हिरासत में लेकर वरली-मटका सामग्री और नकद 1 लाख 3 हजार 800 रुपए, 1 लाख 36 हजार 500 रुपए मूल्य के 20 मोबाइल ऐसा कुल 2 लाख 40 हजार 350 का माल जब्त किया गया। इसी प्रकार मंगरुलपीर पुलिस स्टेशन के तहत ग्राम मानोली में गोविंदा संतोष भातुरकर (27) निवासी मानोली व अन्य 4 ऐसे 5 लोगों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से वरली मटका सामग्री समेत 16 हजार 750 रुपए जब्त किए गए। मालेगांव पुलिस स्टेशन क्षेत्र के ग्राम पांगराबंदी में छापा मारने पर पंडित रुस्तम खोडकर (30) निवासी पांगराबंदी को हिरासत में लिया गया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से सट्टापट्टी बुक और 4 हजार 810 रुपए का माल जब्त किया गया। मालेगांव पुलिस स्टेशन क्षेत्र के ही ग्राम पिंपळवाडी में देवराव रघुनाथ लहाड द्वारा अवैधरूप से 52 ताश पत्ते वरली मटका चलाए जाने की गोपनीय सूचना मिलने पर उसे कब्जे में लेकर 52 ताश पत्ते और 4600 नकद राशि जब्त की गई। स्थानीय अपराध शाखा के दल ने विविध पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में अवैध वरली मटके पर छापे मारकर कुल 2 लाख 66 हजार 510 रुपए नकद राशि समेत जुआ सामग्री जब्त की। इस मामले में 41 लोगों के खिलाफ जिले के विविध पुलिस स्टेशनों में महाराष्ट्र जुआ अधिनियम कानून की विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया।

इनका समावेश : उपरोक्त कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक एस. एम जाधव के दल में शामिल सहायक पुलिस निरीक्षक अतुल मोहनकर, विजय जाधव, प्रमोद इंगले, पुलिस उपनिरीक्षक शब्बीर पठान, हेकॉं किशोर चिंचोलकर, सुनील पवार, गजानन अवगले पाटिल, दिपक सोनावणे, पुना मुकेश भगत, राजेश राठोड, अमोल इंगोले, अश्विन जाधव, प्रवीण राउत, राम नागुलकर, राजेश गिरी, गजानन गोटे, पुकां संतोष शेणकुडे, निलेश इंगले, शुभम चौधरी, दिगांबर मोरे ने की।

अवैध धंधों की जानकारी दें, अपील

वाशिम जिला पुलिस दल की ओर से जनता से आव्हान किया गया की यदि किसी को भी अवैध धंधों को लेकर जानकारी होने पर वे पुलिस स्टेशन अथवा स्थानीय अपराध शाखा के अधिकारी से समक्ष भेट कर अथवा फोन द्वारा जानकारी दें। जानकारी देनेवाले के नाम पूर्णरूप से गोपनीय रखे जाएंगे।